

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-9991 / 1375

दिनांक : 23/08/2023

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,
गुरुग्राम।

विषय : Diversion of 13.4 ha. of forest land in favour of Dy. Chief Engineer/Civil/GGN, National Capital Region Transport Corporation, Gurugram (A Joint Venture of Government of India & participating State Government) for implementation of Delhi-Gurugram RRTS Corridor Delhi to SNB 106.5 km. 16 no. Station - Sarai Kale Khand, Ina, Munirka, Aerocity, Udyog Vihar, Sector 17, Rajiv Chowk Kherki Daula, Manesar, Panchgaon, Bilaspur, Dharuhera, MBIR, Rewari, under forest division and Distt. Gurugram, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Rail/43886/2021

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 477 दिनांक 10.08.2023।

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भेजी गई सूचना का अवलोकन करने उपरान्त पाया गया है कि आप द्वारा भेजी गई सूचना पूर्ण नहीं है। अतः पुनः आपको लिखा जाता है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2022 द्वारा भेजी गई निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को भिजवाएं:-

1. Specific recommendations at SN. 16 Part II of PARIVESH portal from DFO (II), CF(II), at SN 17 Part II of PARIVESH portal are still with old area and need to be replaced with 12,4115 ha.
2. Enumeration list has only 1062 trees mentioned. Hence, enumeration list of all trees to be felled and uploaded under SN. 4 (ii) of PARIVESH portal, may be provided. In Online part-II under column 4(ii) some species are uploaded as misc. species needs to be uploaded for all species along with their scientific name/local name.

इसके अतिरिक्त आपको लिखा जाता है कि पौधारोपण हेतु अतिरिक्त सी0ए0 साईट (18 है0) के सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर से सम्पर्क करके भारत सरकार द्वारा लगाई गई त्रुटि को ठीक करवाया जाए।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला।

पू०क्रमांक:प्रशा-डी-तीन-9991 / 1376

दिनांक : 23/08/2023

एक प्रति वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर को प्रेषित करते हुए लिखा जाता है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2023 द्वारा पौधारोपण हेतु अतिरिक्त सी0ए0 साईट (18 है0) के सम्बन्ध में लगाई गई त्रुटि का समाधान करवाकर वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम को अवगत करवाएं ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)
हरियाणा, पंचकुला।